संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश
E-mail : idspssu@mp.gov.in, Phone : 0755-4094192

क्रमांक / आई.डी.एस.पी. / 2020 / 1764 भोपाल, दिनांक 13.10.2020

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.,
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.

विषय– कोविड–19 के वर्तमान परिदृश्य में मेटरनिटी विंग में इन्फेक्शन प्रीवेंशन प्रोटोकॉल के संबंध में।

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कोविड–19 के वर्तमान परिदृश्य में मेटरनिंटी विंग में कार्य की अधिकता के कारण लॉजिस्टिक की व्यवस्था की जाना आवश्यक है। सेवा प्रदाताओं में कोविड–19 संक्रमण पाया गया है अतः आवश्यक है कि संक्रमण से बचाव हेतु एन–95 मास्क, सर्जिकल मास्क, पीपीई किट, केप, ग्लव्स, सेनेटाईजर, साबुन, थर्मल स्केनर आदि की व्यवस्था अनाबद्ध रूप से की जाये।

सर्जरी एवं सामान्य कार्य सुचारू रूप से संपादित किये जाने हेतु प्रस्तावित है कि :–

1. मेटरनिटी विंग के चिकित्सक एवं स्टॉफ नर्स पॉजीटिव होने पर अन्य वार्ड से मेटरनिटी में अन्य विधा के चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स की ड्यूटी लगाई जाये जिससे गर्भवती महिलाओं के प्रसव के दौरान तथा प्रसव उपरांत प्रसूता एवं नवजात की देखभाल की जा सके।
2. जिला चिकित्सालय तथा अन्य डिलेवरी पांईट्स में पर्याप्त मात्रा में ग्लव्स, मास्क, सेनेटाईजर, डिलेवरी किट, पीपीई किट उपलब्ध कराए जाए। जिला मुख्यालय पर बेसिक प्रोटेक्टिव गियर्स उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
3. समस्त स्टॉफ की ड्यूटी इस प्रकार लगाई जाये कि 25% स्टाफ बैक अप रहे। इंचार्ज सिस्टर जो वर्तमान में आकस्मिक ड्यूटी नही कर रही है उन्हें भी ड्यूटी हेतु आदेशित किया जाये।
4. समस्त स्टाफ अपनी सुरक्षा के समस्त नियमों का पालन करें।
5. समस्त स्टाफ से अपेक्षित है कि वे मरीजों व परिजनों की निरंतर समय–समय पर काउंसलिंग करें।
6. परिसर में भीड नियंत्रण हेतु पुलिस आरक्षक / सुरक्षाकर्मी की ड्यूटी लगाई जाए। परिसर तथा वार्ड में उपस्थित लोगों से कोरोना से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए। यदि कोई व्यक्ति कोरोना से बचाव के नियमों का उल्लघंन करता है तो उससे जुर्माना वसूलने का अधिकार रोगी कल्याण समिति को प्रदाय किया जाए।
7. मरीजों को फाइल नहीं दी जाए उनके अभिलेखों का उपयोग सावधानी पूर्वक किया जाए।

8. ऑपरेशन थियेटर, लेबर टेबल, ओपीडी में मरीज के चेहरे और चिकित्सक/स्टाफ नर्स के मध्य ट्रांसपेरेंट पार्टीशन की व्यवस्था की जाए।

9. मेटरनिटी में जांच/प्रसव हेतु आने वाली समस्त महिलाओं की कोविड आर.ए.टी जांच कराने की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें। (संदर्भ पत्र क्रमांक/आईडीएसपी/2020/550/ दिनांक 8 सितम्बर 2020।)

10. कोविड पॉजीटिव/सस्पेक्ट गर्भवती महिलाओं एवं प्रसूताओं हेतु पृथक से वार्ड की व्यवस्था की जाये। जिला चिकित्सालय में अन्य विधाओं के वार्ड जिन में मरीज नही है उनका उपयोग किया जाए।

मेटरनिटी विंग में इन्फेक्शन प्रीवेंशन प्रोटोकॉल का पालन किये जाने हेतु उपरोक्त दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित।

S.h.

अपर संचालक (आई.डी.एस.पी.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/आई.डी.एस.पी./2020/1765

भोपाल, दिनांक 13.10.2020

प्रतिलिपिः— कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश।
3. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र.।
4. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
5. मिशन संचालक, एन.एच.एम. अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल।
6. उप सचिव, गैस राहत एवं पुनर्वास, भोपाल।
7. संचालक स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, मध्यप्रदेश।
8. समस्त क्षेत्रीय संचालक, संभागीय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी कोविड–19 कंट्रोल रूम, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, मध्य प्रदेश।
10. उप संचालक, आई.टी. शाखा, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, मध्य प्रदेश।

S.h. 13/10/2020

अपर संचालक (आई.डी.एस.पी.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश